Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding publication of complete draft of the updated National Register of Citizens in Assam.

SHRI SUDIP BANDYOPADHYAY (KOLKATA UTTAR): Madam Speaker, on behalf of our Party, Prof. Saugata Roy has put up a notice of Adjournment Motion.

Today morning, the National Register of Citizens (NRC) of Assam has declared 3,20,00,000 citizens as authenticated citizens and deleted the names of 40,07,760 citizens from the declared list. The first list was declared on 30th June. The second list is declared today. When the first list was declared, the persons whose names were deleted were asked to produced their documents again and they gave them. Again, they have now been told that for the third time also, they should produce their papers. But those persons are telling that they have submitted all the papers and they are certainly authenticating with their documents placed before the Board. Now, where will these 40 lakh people go? It is most inhuman and torture upon their mentality.

So, I would request the Central Government and the hon. Home Minister, Shri Rajnath Singh to take a decision in this matter very seriously to see that some step is taken very promptly and justice should not be denied to these people. Fresh revision with top priority under the supervision of the Government of India should be made. If necessary, an amendment should be brought that these people will get their shelter.

Madam, I cannot understand as to why such a thing is happening only in Assam. What about other States? This matter should be taken up very urgently. It is a question of more than 40,07,760 persons. I think, the Government will take it up with utmost priority to give relief to those people and justice should not be denied to them. An assurance should be given by the hon. Home Minister in this regard. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER : Shrimati Supriya Sule and Shri Mullappally Ramachandran are permitted to associate with the issue raised by Shri Sudip Bandyopadhyay.

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपने नाम एसोसिएशन के लिए लिखवा दीजिए।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, एक वाक्य और आप सहयोगी बनना चाहेंगे।

…(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Madam, I fully support what Shri Sudip Bandyopadhyay has said. मैं चाहता था कि इसके लिए एक अलग चर्चा हो। उन्होंने मुद्दा उठाया है, चालीस लाख लोगों का मुद्दा है, उनके वोटिंग का विषय है, उनके रहने का विषय है, उनके सिटिजनशिप का विषय है, उनका यह हक है। वे चालीस लाख लोग जो यहां पर पैदा हुए हैं, यहां के रहने वाले हैं और ओरिजिनल सिटिजन्स हैं, कार्ड मांगना, आईडेंटिटी लाना और दूसरे डॉक्यूमेंट्स लाना, उनका जन्म कहां हुआ, उनके पिता जी कौन थे, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं। …(व्यवधान) बहुत से लोगों को डिलिट किया गया है और यह भी है कि यह परपसली डिलिट किया गया है, यह भी हो रहा है।

अगर ऐसा हुआ तो आप लोग एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वहां पर आप एक बहुत बड़ा डिविजन करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि होम मिनिस्टर

जल्द से जल्द कदम उठाएं और अमेंडमेंट करके चालीस लाख लोगों को न्याय दिलाएं।

HON. SPEAKER: Dr. Shashi Tharoor, Adv. Joice George and Shri Rajeev Satav are permitted to associate with the issue raised by Shri Mallikarjun Kharge.

…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है। हमें इस पर बहुत संजीदगी से विचार करना पड़ेगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप एक वाक्य में बोलिए, क्योंकि बात आ गई है।

…(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत संवेदनशील मामला है। पिछले कई महिनों से, असम में स्थिति बिगड़ न जाए, इसके लिए सुरक्षा बल भी तैनात किया गया है। मैं सबसे पहले यह कहूंगा कि धर्म आधारित नागरिकता या भाषा आधारित नागरिकता का सवाल लेकर हम ऐसी छेड़खानी करेंगे तो वहां पर बहुत फ्रेजाइल यूनिटी है। हमारी नागरिकता का प्रश्न है। भविष्य में एनआरसी का मामला दूसरे प्रांत में फैलाने की कोशिश की जा रही है। चालीस लाख लोगों को स्टेटलेस सिटिजंस करने से, आप उन्हें विदेश नहीं भेज पाएंगे। लेकिन आप डिकैंप मे दे कर, उनसे इंसानियत का अधिकार छिन रहे हैं।Their human rights, basic constitutional rights and democratic rights are at stake. Please protect that. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री एम.बी. राजेश और श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप दो वाक्यों में अपनी बात समाप्त कीजिए।

…(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): अध्यक्ष महोदया, यह मानवाधिकार का मामला है, यह इंसानियत का मामला है और असम के चालीस लाख नागरिकों की सुरक्षा के हक का सवाल है, उनके मताधिकार का सवाल है। इससे नफरत फैलेगी, अशांति फैलेगी, हिंसा फैलेगी। असम में नागरिकता पर सवाल उठाया जा रहा है, यह गंभीर मुद्दा है और मानवाधिकार से जुड़ा है। ऐसे मामले को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और कोई अनहोनी घटना नहीं होनी चाहिए। जो 40, 50, 60 सालों से लोग वहां रह रहे हैं, उनकी नागरिकता पर हमला नहीं होना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह): अध्यक्ष महोदया, जहां तक नेशनल रजिस्टर आफ सिटीजन्स का प्रश्न है, ऐसा नहीं है कि यह सिलसिला हमारी सरकार आने के बाद प्रारम्भ हुआ हो, बल्कि इसकी डिमांड लम्बे समय से असम के नागरिकों द्वारा होती रही है। असम की वर्तमान सरकार से पहले की सरकारों ने, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस समय भी वहां फारेन ट्रिब्युनल्स बनाए गए थे। पहले उनका नम्बर-36 था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उनका नम्बर बढ़ाकर 100 कर दिया गया। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने इसमें कुछ नहीं किया है। इस विषय में जो भी काम चल रहा है वह सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न के अंडर चल रहा है। यह बार-बार कहना कि सरकार ने ऐसा कुछ किया है, सरकार बड़ी इनह्युमन हो गई है, सरकार ब्रूटल हो गई है, ठीक

बात नहीं है। इस बारे में यदि मैं कहूं कि इस प्रकार के एलीगेशन्स बेसलेस हैं, तो यह गलत नहीं होगा। इस संबंध में जो भी लिस्ट पब्लिश हुई है, वह लिस्ट फाइनल एनआरसी नहीं है। अभी 2.89 करोड़ की एनआरसी पब्लिश हुई है। इसके बाद क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पूरा अवसर मिलेगा। जिन लोगों को लगता है कि हमारा नाम एनआरसी में होना चाहिए था, वे लोग अपने क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस 28 अगस्त के बाद फाइल कर सकते हैं। इसके लिए एसओपी भी तैयार होगी, उसमें क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे और उसके बाद उसका डिस्पोजल होगा।

इसका डिस्पोजल कितने दिनों में होगा, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट को ही करना है, इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हॉयर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का डिस्पोजल होगा। यदि इसके बाद भी कोई संतुष्ट नहीं होता है, तो उनके लिए फॉरनर्स ट्रिब्युनल में जाने का अवसर रहेगा।

अध्यक्ष महोदया, मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं तो न्याय मिलेगा, इसलिए इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक किसी प्रकार का पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है और मैं पूरे सदन से अपील करना चाहता हूं कि यह बहुत ही सेंस्टिव इश्यू है और इस संबंध में सभी का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। ...(व्यवधान) आप भले ही आक्रोश में बोलें। ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे बोलने के बाद नाराज़ हो जाना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इस बारे में सरकार कुछ नहीं कर रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के अंडर सुपरविज़न में हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम : आप वहां किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except Shri Rajnath Singh's statement.

...(Interruptions)... *

HON. SPEAKER: Nothing is going on record. सलीम जी, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, आप अपना गला क्यों खराब कर रहे हैं?

...(Interruptions)... *

श्री राजनाथ सिंह : आप निर्धारित कर दीजिए कि इसमें हमारा क्या रोल है। मैं पूरे सदन से कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग यह निर्धारित कर दें कि इसमें हमारा क्या रोल है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के सेंस्टिव इश्यू को अनावश्यक पोलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में मैं सभी का सहयोग चाहता हूं। ... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): In protest, we are walking out … (*Interruptions*)

-

12 20 hrs

At this stage, Shri Mallikarjun Kharge, Shri Dharmendra Yadav, Shri Mohammad Salim, Shri Jai Prakash Narayan Yadav and some other hon. Members left the House.

… (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Now, ‘Zero Hour’. Shri Adhalrao Patil Shivajirao.

… (*Interruptions*)